राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 175   फरवरी 2014   राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक 20 वर्षीय आदिवासी कन्या के साथ 13 लोगों ने निर्दयी तरीके से सामूहिक बलात्कार किया। जिसका तथाकथित आदेश एक सामाजिक निकाय, सलीशी सभा जोकि एक खाप पंचायत स्तर की है जोकि अपने हिंसात्मक कानून के लिए कुख्यात है। उस महिला का अपराध क्या था? उसने एक अर्न्तजातीय युवक को अपना जीवन साथी चुनने का साहस किया था। इस अपराध के लिये सलीशी सभा ने उसके परिवार वालों पर 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाया। जब महिला के परिवार वाले जुर्माना नहीं दे पाये तो सलिशी सभा के आदेश से उसका यौन उत्पीड़न किया गया।

पश्चिम बंगाल की यह घटना, हरियाणा के खाप पंचायत का ही दर्पण स्वरूप है जो इस प्रकार के अपराधों के लिये उनके बनाये कानूनों का उल्लंघन करने पर सामाजिक बहिष्कार/समाज से निकालने/धमकियां/डराने यहां तक कि उनकी हत्या करने का भी दण्ड देती हैं।

यद्यपि सभी 13 व्यक्तियों, जिसमें सलीशी सभा का मुखिया भी शामिल है जिसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है, को गिरफ्तार कर लिया गया है तथापि इन अतिरिक्त संवैधानिक प्राधिकारियों को कानून बनाने वालों की ओर से अनुमोदन प्राप्त है, इस प्रकार के संस्थापकों को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाना चाहिये। अर्न्तजातीय विवाहों और समान गोत्र के सहभागियों के बीच विवाह का विरोध होना भी महिलाओं को आधारभूत अधिकारों और उनकी स्वायत्ता, गतिशीलता और आजादी चुनने पर प्रतिबंध लगाना है।

चर्चा में | **कंगारू न्यायालय**

घटना को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए आयोग ने मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा के नेतृत्व में एक दल ने मामले में जांच पड़ताल करने हेतु बीरभूम जिले का दौरा किया। अध्यक्षा ने महिलाओं पर हो रहे निरन्तर अपराधों पर राज्य सरकार द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि जब तक अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही नहीं की जाती और इन कंगारू अदालतों के लिये सख्त संदेश कि इस प्रजातांत्रिक समाज में कोई भी स्थान नहीं है तब तक इस प्रकार के अपराध और अत्याचार होते रहेंगे।

यह पूर्ण तथा स्पष्ट है कि पुलिस की उदासीनता और सरकार की संवेदनहीनता के कारण लोगों की दुर्दशा हो रही है जिससे दोषियों की हिम्मत बढ़ गई है और निर्भय हो गये हैं जोकि गोत्र के बुजुर्गों द्वारा गलत किये जाते है क्योंकि वे सुधार विरोधी जाति और गोत्र के विरुद्ध जो विवाह से संबंधित होते है, को स्पष्ट नहीं करते। जब तक इन अपराधों की जांच नहीं की जायेगी तथा पर्याप्त प्रचुर उत्साह से इनकी पैरवी नहीं की जाती और अपराधियों के मामलों को फास्ट ट्रेक अदालतों में निर्धारित अवधि के अन्दर निपटाया नहीं जाता जब तक इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति शर्मसार करते हुए निरन्तर होती रहेंगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस

राष्ट्रीय महिला आयोग ने, आयोग के नई दिल्ली स्थित परिसर में अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर आयोग की सदस्याएं, अधिकारी और कर्मचारीगण और मीडिया के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा (बीच में) अन्य सदस्यों के साथ 'अचीवमेंट' पुस्तिका का विमोचन करते हुए

इस अवसर पर बोलते हुए माननीय अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के लिये अकेले दम पर ही सब कुछ करना संभव नहीं था। हम सभी को साथ मिलकर महिलाओं के उच्चीकरण और सशक्तिकरण के लिये कार्य करना है। लेकिन उन्होंने महिलाओं से यह भी आग्रह किया कि उन्हें महिलाओं से संबंधित कानूनों और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिये। श्रीमती ममता शर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए पिछले 2½ वर्षों के दौरान आयोग द्वारा की गई कुछ उपलब्धियों को भी गिनाया। आयोग ने राज्य महिला आयोगों के साथ सहयोग करके कार्य किया। महिलाओं में जागरूकता पैदा की व साथ ही साथ कार्यस्थल पर बलात्कार, यौन उत्पीड़न, तेजाब से हमला, पीछा करने से संबंधित और महिलाओं पर दूसरी तरह के अत्याचार करने की घटनाओं में कानूनों में बदलाव करने की भी सिफारिश की।

इस अवसर पर पिछले 2½ वर्षों के दौरान आयोग द्वारा की गई उपलब्धियों पर एक पुस्तक 'अचीवमेंट' का भी विमोचन किया गया।

अध्यक्षा का पृष्ठ

❖ राष्ट्रीय थर्मल पॉवर निगम द्वारा नोएडा में "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम" विषय पर आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर श्रीमती ममता शर्मा मुख्य अतिथि थी। अपने मुख्य भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज के परिवेश में यह विषय काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिक संख्या में महिलाएं वर्क फोर्स में शामिल हो रही थी। महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर उन्होंने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित वातावरण में कार्य करने का अधिकार और अपनी उन्नति के लिये समान वेतन और लाभ अर्जित करने का अधिकार है। कार्यस्थल पर महिलाओं पर प्रताड़ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत महिलाओं को दिये गये समान अधिकारों का और अनुच्छेद 21 के तहत उन्हें सम्मान से जीवन व्यतीत करने के अधिकारों का खुला उल्लंघन है जिसमें कि बिना यौन अत्याचार किये उनके लिए सुरक्षित वातावरण का मुद्दा भी शामिल है।

श्रीमती ममता शर्मा कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए। मंच पर आसीन (बायें से) डॉ. चारू वलीखन्ना, डॉ. अरूप रॉय चौधरी और श्रीमती ममता शर्मा

डॉ. चारू वलीखन्ना, सम्मानीय अतिथि ने कार्य स्थल पर यौनाचार को रोकने से संबंधित एक प्रेजेन्टेशन प्रस्तुत किया और संबंधित अधिनियम में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों को भी मद्देनजर रखा। उन्होंने पुनः दोहराया कि प्रत्येक संगठन, कार्यरत महिलाओं की समस्याओं के प्रभावी निवारण करने हेतु अपने स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन करे। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित 'वालेट पुस्तिका' और 'न डरो, न सहो और स्वीकार करो' प्रकाशन को प्रतिभागियों के बीच बांटा गया और साथ ही पारस्परिक सत्र का भी आयोजन किया गया जिसमें उन महिलाओं ने अपने द्वारा किये गये अनुभवों को शेयर किया। डॉ. अरूप रॉय चौधरी, अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक एन.टी.पी.सी. और श्री यू.पी. पाणि, निदेशक (मानव संसाधन) ने जनसमूह को सम्बोधित किया। मंच पर सुश्री अरुंधती भट्टाचार्य, महाप्रबंधक और अध्यक्ष, यौन अत्याचार समिति और सुश्री गीतिका शिव, सामान्य प्रबंधक भी उपस्थित थी।

❖ श्रीमती ममता शर्मा ने इन्दौर में शिशुकुंज इंटरनेशनल स्कूल के बारहवीं छात्रों के बैच के स्नातक समारोह में एक विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया। श्री शर्मा ने इस अवसर पर बोलते हुए विद्यार्थियों से अपने अन्दर देशभक्ति की भावना को विकसित करने का अनुरोध किया। अपने बड़ों के प्रति आदर और भारत के भावी नागरिकों के रूप में जिम्मेदार होने का आग्रह किया। राज्य की सुरक्षा पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और पुलिस को 24 घंटे इनके प्रति सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने पाठशाला स्तर से ही विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया और पुलिस कर्मियों को संवेदनशील बनाने के लिये कार्यक्रम होते रहने चाहिये। कारपोरेट कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा के बारे में चिंतित होते हुए उन्होंने कहा कि देर तक कार्य कर रही महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी अधिकारियों को लेनी चाहिए और प्रत्येक संगठन अपने यहां पर विशाखा दिशानिर्देशों के अनुरूप, शिकायत समिति का गठन अवश्य करे। कार्यक्रम के पश्चात, माननीय अध्यक्षा और प्रोफेसर ऋषिकेश टी. कृष्णन, निदेशक भारतीय प्रबन्धन संस्थान इन्दौर ने छात्रों को उपाधि पत्र दिये।

❖ माननीय अध्यक्षा ने सर्किट हाउस, उदयपुर, राजस्थान में एक जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने कहा कि अधिकतर मामले दहेज प्रताड़ना और अधिक मांग किये जाने तथा घरेलू हिंसा से संबंधित थे। उन्होंने कहा कि वह संबंधित प्राधिकारियों को उचित कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखेंगी। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मेवाड़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों का व्यापार और तस्करी करना एक रोजमर्रा का कार्य हो गया है। इस संत्रास का सामना करने के लिए, पुलिस के अतिरिक्त, गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संस्थानों और साथ ही मीडिया भी तत्परता से पहल करे। उन्होंने कहा कि वह उदयपुर में रह रही विधवाओं के लिये आश्रय घर बनवाने के लिये केन्द्र सरकार को पत्र लिखेंगी।

महत्वपूर्ण निर्णय

● राष्ट्रीय महिला आयोग ने लैंगिक भेदभाव में न्याय के क्षेत्र में इतिहास कायम किया। जब शीर्ष अदालत ने, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा एक दहेज उत्पीड़न मामले में प्रस्तुत की गई उपचारीय याचिका को प्रविष्ट कर और तत्पश्चात् इसे स्वीकार भी कर लिया। शीर्ष अदालत ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को पलटते हुए यह आदेश किया कि किसी महिला को उसकी बहू को लात मारना या उसे तलाक लिये जाने की धमकी के खिलाफ शिकायत भी आई.पी.सी. की धारा 498क के तहत अत्याचार की श्रेणी मे माना जायेगा और जुर्माने के अतिरिक्त अधिक से अधिक तीन वर्षों के कारावास का दण्ड दिया जायेगा।

● ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में महिला स्वत सहायता समूह को 1400 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की। । अप्रैल, 2013 के पश्चात् तीन लाख रुपये तक दिये गये जिस पर 3% की दर से महिलाओं को ब्याज दिया जावेगा। इस योजना से विभिन्न राज्यों जैसे ओड़िसा, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कार्यरत महिला स्वयं सहायता समूह लाभान्वित होंगे।

राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों के बीच पारस्परिक बैठक

राष्ट्रीय महिला आयोग ने आंध्र प्रदेश राज्य महिला आयोग, हैदराबाद के सहयोग से एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में 15 राज्यों से आई हुई माननीय अध्यक्षों/सदस्यगणों/सदस्य सचिवों ने भाग लिया।

उद्घाटन समारोह में बोलते हुए सदस्या अधिवक्ता निर्मला सामंत प्रभावलकर ने राज्य महिला आयोगों से महिलाओं से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिये अधिक सक्रियता बरतने का अनुरोध किया। उन्होंने देश में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सचिव नन्दिता चटर्जी ने सम्मेलन में इसका थीम रखा और राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिलाओं की भूमिका और कार्यों के अभिसरण को राज्य महिला आयोगों ने, राष्ट्रीय महिला आयोग से अनुरोध किया कि वह सम्मेलन के दौरान की गई सिफारिशों और नीतियों को लागू करने और इनको कार्यान्वयन करने हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच समक्षीता करने का उत्तरदायित्व ले।

सम्मेलन का समापन, श्रीमती सुनीता एच. खुराना, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग के धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने पर हुआ।

सदस्या निर्मला सामंत प्रभावलकर कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए। मंच पर आसीन (बायें से) श्रीमती सुनीता एच. खुराना, श्रीमती वी.आर. त्रिपुराना, श्रीमती नन्दिता चटर्जी, श्री विरंजीव चौधरी

सदस्यों के दौरे

❖ राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या शमीना शफीक ने नई दिल्ली में "महिलाओं के अधिकारों के कार्यान्वयन के लिये संस्थानिक तकनीकियों को मजबूत करने" और देश की महिलाओं की स्थिति पर आख्या तैयार करने हेतु विषय पर एक परामर्श सत्र में भाग लिया। ● सदस्या शमीना शफीक ने अल्पसंख्यक महिलाओं पर हिंसा के विरुद्ध एक विशेषज्ञ समिति की बैठक की अध्यक्षता की जिसमें उन्होंने उनके सशक्तिकरण के माध्यम से उनके अधिकारों और उन्नति हेतु व्यापक स्तर पर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया। ● श्रीमती शमीना शफीक ने एमिटी स्कूल में "कानून और कार्यस्थल पर महिलाएं - संगठित और असंगठित क्षेत्र" विषय पर एक तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की। प्रतिभागियों ने घरेलू हिंसा, महिला और यौन अपराध और दहेज आदि मुद्दों पर चर्चा के साथ पुलिसकर्मियों और न्यायिक अधिकारियों को संवेदनशील बनने की आवश्यकता पर जोर दिया। ● सदस्या ने हैदराबाद का दौरा किया जहां पर उन्होंने अखिल भारतीय अल्प संख्यक जन बैठक में भाग लिया और राजनीतिक पार्टियों के अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के प्रतिवेदनों पर, सांप्रदायिकता विरोधी बिल, सूचना केन्द्रों की स्थापना और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के बहुमुखी विकास के मुद्दे पर चर्चा की। ● सदस्या शमीना शफीक ने "दिल्ली को एक सुरक्षित शहर बनाना : पूर्वोत्तर क्षेत्र के विचार" विषय पर नई दिल्ली में एक गोलमेज बैठक में भाग लिया। ● निर्धनतम क्षेत्र नागरिक सोसायटी (पी.ए.सी.एस.) और पार्टिसिपेटरी अनुसंधान एशिया (पी.ए.ए.) ने नई दिल्ली में 'सामाजिक तौर पर बहिष्कृत समूहों के लिये संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने' विषय पर राष्ट्रीय परामर्श सत्र का आयोजन किया। ● सदस्या ने 'भारत में महिलाओं की स्थिति' विषय पर एक सत्र में भाग लिया जिसका उद्देश्य आसान तरीकों से सिफारिशों को मुहैया करा कर अग्रसारित करना था।

सदस्या शमीना शफीक पी.ए.सी.एस. राष्ट्रीय सत्र को सम्बोधित करती हुई

❖ डॉ. राहुल जोगी, कन्वेनर, डॉ. अम्बेडकर नव निर्माण समिति, शामली उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सदस्या निर्मला सामंत प्रभावलकर मुख्य अतिथि थी। सदस्या ने महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही पेंशन की उपलब्धता न होने पर उनके द्वारा महसूस की जा रही समस्याओं तथा पुलिस द्वारा महिलाओं पर किये जा रहे अत्याचार और प्रशासन की उदासीनता पर भी चर्चा की। ● सदस्या ने कैराना, उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता संघ को भी संबोधित किया। अधिवक्ताओं ने महिलाओं के लिये अलग से न्यायालय बनाये जाने के प्रश्न को उठाया क्योंकि उनके मामलों को प्रायः उनके शहर से दूसरे शहरों को स्थानांतरित कर दिया जाता है। सदस्या ने उन्हें मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा हस्तक्षेप किये जाने का आश्वासन दिया। ● सदस्या, प्रेस सूचना ब्यूरो, चण्डीगढ़ द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में सम्माननीय वक्ता थीं। सदस्या ने मीडिया से कहा कि महिला संबंधी मुद्दे को प्रतिपादित करते समय उन्हें संवेदनशील बनाये रखने का आग्रह किया। ● तत्पश्चात्, श्रीमती प्रभावलकर बरेली मॉडल जेल (महिला प्रकोष्ठ) गई और राज्य सरकार को सिफारिशें भेजी। ● सदस्या ने शिवाजी महाविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित कार्यक्रम 'सेलीब्रेटिंग वूमेनहुड' में एक मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

सदस्या हेमलता खेरिया इयान खान गाँव के मुसहर समुदाय के लोगों के बीच

❖ राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या हेमलता खेरिया ने जिला कारागार, प्रतापगढ़, राजस्थान का दौरा किया और महिला संवासियों/कैदियों से मिली। उन्होंने महिला कैदियों की स्थिति को शोचनीय स्थिति में पाया। उन्होंने महिला कैदियों को कानूनी सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और परामर्श देने की सिफारिश की। ● सदस्या ने उदयपुर जिले के सुहागपुरा गांव राजस्थान में आदिवासी बेल्ट का दौरा किया तथा बाल विवाह, डायन-प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, लड़कियों के लिये शिक्षा और शौचालयों की उपलब्धता, पानी, चिकित्सा सुविधाओं और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा आदि मुद्दों पर चर्चा की। ● सदस्या ने सी.डी.पी.ओ./बी.डी.ओ./पी.ओ. के साथ केलवारा खण्ड की खमनौर और ओधा पंचायतों का दौरा किया और महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। ● सदस्या ने सामाजिक कार्यकर्ताओं, सरकारी अधिकारियों और उमंग पार्टनर के एक दल के साथ बिहार में दुल्हन बाजार में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने के लिये दौरा किया। वह इयान खान, लाला बख्तारा और बड़ी चक जैसे निर्धनतम क्षेत्रों में जहां पर गरीब दलित, महादलित और अस्पृश्यता से घिरी जनता रहती है, में भी गई। ● सुश्री खेरिया दलित कन्याओं के लिये, कस्तूरबा गांधी विद्यालय गई और उनसे पारस्परिक रूप से जुड़कर उनकी समस्याओं को जाना। ● सदस्या ने पटना में आयोजित 'महिलाएं, कानून और हिंसा : चुनौतियां और भविष्य' विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में मुख्य अतिथि थी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के द्वारा कानूनी व्यवस्था और कानून का सदुपयोग करके उसमें सक्रियता से भाग लेने पर ही वह हिंसक संबंधों की राह से बाहर आ सकती है। उन्होंने आज के समय में शिक्षा और जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया।

नई दिल्ली में महिलाएं विधिक जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेते हुए दिखाई देती हुई

❖ राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या चारू वलीखन्ना, नई दिल्ली में सेन्ट जेवियर्स में सिटीजन राइट्स ट्रस्ट द्वारा आयोजित 'पैरा लीगल प्रशिक्षण' कार्यक्रम के उद्घाटन पर मुख्य अतिथि थी। ● वह एम. अफज़ल वानी, डीन, यू.एस.एल.एल.एस., नई दिल्ली द्वारा आयोजित वाद-विवाद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि थी। ● डॉ. चारू वलीखन्ना, नई दिल्ली में आयोजित एक-दिवसीय परामर्श सत्र 'महिलाओं के अधिकारों को कार्यान्वित करने में संस्थानिक तकनीकियों को मजबूत करना' विषय पर मुख्य अतिथि थी। ● वह राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं के कानूनी जागरूकता कार्यक्रम, जिसका आयोजन महिला प्रयास जागृति मिशन, नई दिल्ली द्वारा किया गया, में भी मुख्य अतिथि थी। उन्होंने प्रतिभागियों से महिलाओं के अधिकारों के लिये लड़ने और उनकी सुरक्षा के कानूनों के प्रति जागरूक रहने की अपील की। ● सदस्या एमिटी विधिक स्कूल, नोएडा द्वारा आयोजित 'महिलाओं से संबंधित कानूनों को उचित कार्यान्वयन के लिये न्यायिक और पुलिस अधिकारियों के क्षमता निर्माण' विषय पर एक कार्यशाला में मुख्य अतिथि थी। अपने मुख्य भाषण में उन्होंने कहा कि न्यायिक और पुलिस दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान हैं जिन्हें कानून के नियमों की उचित तरीके से कार्यान्व्यन सुनिश्चित करना है। ● डॉ. वलीखन्ना ने, सोल्यूशन एक्चेंज फॉर जैन्डर कम्युनिटी और सी.बी.एम. भारत, जिसका विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है, द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय परामर्श सत्र 'विकास प्रक्रिया मे विकलांग व्यक्तियों को शामिल करना' विषय में भाग लिया।

आयोग द्वारा की गई जांच

- राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या शमीना शफीक ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की एक घटना की जांच करने के लिए दौरा किया जिसमें एक आदिवासी जवान महिला का दूसरी जाति के पुरुष के साथ संबंध बनाने पर उसको दण्डित करने के उद्देश्य से तेरह व्यक्तियों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया। जांच समिति की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा, अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य भी थी।
- राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या शमीना शफीक ने दो अन्य दौरों के साथ रायपुर जिला सोनीपत (हरियाणा) का एक स्कूल की छात्रा के साथ बलात्कार किये जाने के मामले में जांच करने हेतु दौरा किया। विस्तृत आख्या, सिफारिशों सहित प्रस्तुत कर दी गई है।
- डॉ. चारू वलीखन्ना ने एक जांच समिति की अध्यक्षा के रूप में भोपाल, मध्य प्रदेश का दौरा किया जोकि निफ्ट भोपाल की छात्रा के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत थी।

अधेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।